

प्रधान अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956

उपरिस्थिति - 1. श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक (प्रार्थी)

2. प्रोत्साहन अधिकारी, राज्य तहसीलदार भरतपुर

(अप्रार्थी)

दिनांक : 24.02.2021

अप्रार्थी

प्रधान अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956

बनाम

प्रार्थी

प्रधान अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956

उपरिस्थिति - 1. श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक (प्रार्थी)

2. प्रोत्साहन अधिकारी, राज्य तहसीलदार भरतपुर

(अप्रार्थी)

प्रधान अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज)

राजस्थान सरकार



भारतपुर
उपखण्ड अधिकारी
(दामोदर सिंह आर.ए.एस.)

शु

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अ-राजस्व अधिनियम 1956 का रबीकार
नं. 2071-75 ग्राम सेवरकला में श्री मलखान दर्ज कर दिया गया। यह एक लिपिकीय ब्रिटे
नं. 2071-75 ग्राम सेवरकला नाथव तहसीलदार भारतपुर ने श्री अपने जवाब प्रार्थना पत्र में
के विवर पर लिपिकीय भूल से प्रार्थी के पिता का नाम मलखान के स्थान पर
नं. 1241/0. के विवर किया गया है कि खसरा पत्रक तैयार करते समय हाल खसरा नं. 1241/0.
नं. 2071-75 ग्राम सेवरकला में श्री मलखान दर्ज कर दिया गया। यह एक लिपिकीय ब्रिटे
नं. 2071-75 ग्राम सेवरकला नाथव तहसीलदार भारतपुर ने श्री अपने जवाब प्रार्थना पत्र में
के विवर पर लिपिकीय भूल से प्रार्थी के पिता का नाम मलखान के स्थान पर
नं. 1241/0. के विवर किया गया है कि खसरा पत्रक तैयार करते समय हाल खसरा नं. 1241/0.
नं. 2071-75 ग्राम सेवरकला में श्री मलखान दर्ज कर दिया गया। यह एक लिपिकीय ब्रिटे

अतः आज्ञा है कि -

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अ-राजस्व अधिनियम 1956 का रबीकार
नं. 2071-75 ग्राम सेवरकला में श्री मलखान दर्ज कर दिया गया। यह एक लिपिकीय ब्रिटे
नं. 2071-75 ग्राम सेवरकला नाथव तहसीलदार भारतपुर ने श्री अपने जवाब प्रार्थना पत्र में
के विवर पर लिपिकीय भूल से प्रार्थी के पिता का नाम मलखान के स्थान पर
नं. 1241/0. के विवर किया गया है कि खसरा पत्रक तैयार करते समय हाल खसरा नं. 1241/0.
नं. 2071-75 ग्राम सेवरकला में श्री मलखान दर्ज कर दिया गया। यह एक लिपिकीय ब्रिटे